(15)

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1818–एक/2001 – विरूद्व आदेश दिनांक 29 अगस्त, 2001 पारित व्दारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 449/1995–96 अपील

1– रामनिहोर सिंह पुत्र देवीकी नन्दन सिंह
मृतक वारिस
अ– राजमणि सिंह ब– शोभनाथ सिंह
स– रामकिशोर सिंह पुत्रगण स्व.रामनिहोर सिंह
2– धर्मदास सिंह पुत्र देवकीनन्दन सिंह
निवासीगण ग्राम बिहरा तहसील रामपुर वाघेलान
जिला सतना मध्य प्रदेश

———आवेदकगण

विरूद्व

1– लालबिहारी सिंह पुत्र प्रयाग सिंह
2– जयकरण सिंह 3– गोकरण सिंह पुत्रगण धनुषधारी
4– रामचरण सिंह 5– रामचरण सिंह 6– बाबूलाल सिंह
सभी पुत्रगण मथुरा सिंह
7– महिला मोगिया पत्नि स्व. मथुरा सिंह
8– सुश्री शान्ति पुत्री बृजलाल
9– रामधनी पुत्र राममिलन
10– नत्थू 11– राजललन पुत्रगण बृजलाल नाई
12– रामावतार सिंह 13– रामसिरोमणि सिंह
14– समयलाल सिंह पुत्रगण बद्रीसिंह
15– सुश्री मुल्ली 16– सुश्री रनिया
17– सुश्री मनबसिया पुत्रियां बद्रीसिंह
सभी ग्राम बिहरा तहसील रामपुर वाघेलान
18– स्वामीदीन सिंह 19– रामसनेही सिंह

20— रामाधार सिंह पुत्रगण भगवत सिंह
21— श्रीमती रमरतिया पत्नि भगवत सिंह
सभी निवासी ग्राम पिपराछा तहसील रामपुर बाघेलाल
जिला सतना मध्य प्रदेश ———अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस.के.अवस्थी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री अमित मार्गव)

आ दे श

(आज दिनांक 4 — 10 —2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 449/1995—96 अपील में पारित आदेश दिनांक 29—8—2001 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि लालविहारी, जयकरण, गौकरण ने नायव तहसीलदार वृत्त कोटर के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर मांग की कि ग्राम विहरा की भूमि सर्वे कमांक 2417 रकबा 14.00 एकड़ के अभिलिखित अनावेदकगण है किन्तु इस भूमि के अंश भाग 3.50 एकड़ पर उनका पुस्तैनी कब्जा है इसलिये खसरे के कालम नंबर 12 में कब्जा इन्द्राज किया जावे। नायव तहसीलदार वृत्त कोटर ने प्रकरण कमांक 20 अ—6—अ/1994—95 पॅजीबद्व किया तथा आदेश दिनांक 19—12—1994 पारित करके कब्जा दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी, रामपुर बाघेलान के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान ने प्रकरण कमांक 174/1994—95 अपील में पारित आदेश दिनांक 22—4—1996 से अपील स्वीकार कर नायव तहसीलदार वृत्त कोटर का आदेश दिनांक 19—12—1994 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग , रीवा के न्यायालय में द्वित्तीय अपील प्रस्तुत की गई। अपर

आयुक्त रीवा संभाग ने प्रकरण कमांक 449/1995–96 अपील में पारित आदेश दिनांक 29–8–2001 से अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान का आदेश दिनांक 22–4–1996 निरस्त करते हुये नायव तहसीलदार वृत्त कोटर के आदेश दिनांक 19–12–1994 को यथावत् रखा। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि नायव तहसीलदार वृत्त कोटर के आदेश दिनांक 19–12–1994 के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान के समक्ष विलम्ब से अपील प्रस्तुत हुई है । अनुविभागीय अधिकारी का दायित्व था कि विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पर हितबद्व पक्षकारों को सुनकर सर्वप्रथम समयावधि के बिन्दु पर निर्णय लेते, किन्तु उनके व्दारा ऐसा न करते हुये अपील में सीधे अंतिम आदेश पारित किया है।

मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 47 – समय वर्जित अपील में परिसीमा के प्रश्न को पहले विनिश्चित करना होगा। समय वर्जित अपील सुनने की अधिकारिता अपीलीय न्यायालय को नहीं होती, जब तक कि विलम्ब समुचित आधारों के आधार पर उचित न पाया जावे।

हरलाल विरूद्व दामोदर दास 1966 J.L.J. S.N. 150 का न्याय दृष्टांत है कि समय बर्जित अपील खारिज करने का कर्तव्य अपीलीय न्यायालय का है भले ही प्रत्यर्थी ने परिसीमा के संबंध में आपत्ति न की हो। इसी प्रकार मोतीलाल वर्मा विरूद्व नारायण प्रसाद 1967 J.L.J. 69 में व्यवस्था दी गई है कि समय बर्जित अपील के संबंध में वरिष्ठ न्यायालय में भी आपत्ति उठाई जा सकता है।

उक्त आधारों पर आयुक्त रीवा संभाग व्दारा आदेश दिनांक 29–8–2001 में विवेचना कर दिया गया निष्कर्ष उचित प्रतीत होता है। वाद विचारित भूमि पर

मांगकर्ताओं का पुस्तैनी कब्जा वर्ष 1958–59 से था जिसके कारण नवीन प्रविष्टि का मामला नायव तहसीलदार ने एंव अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने नहीं माना है परन्तु अनुविभागीय अधिकारी, रामपुर वाघेलान ने भ्रामक अर्थ निकाल कर आदेश दिनांक 22–4–96 पारित करके नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 19–12–1994 को निरस्त किया है जिसके कारण अपर आयुक्त रीवा संभाग व्दारा प्रकरण कमांक 449/1995–96 अपील में पारित आदेश दिनांक 29–8–2001 में विसंगति नहीं होना परिलक्षित है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग व्दारा प्रकरण कमांक 449/1995–96 अपील में पारित आदेश दिनांक 29–8–2001 उचित प्रतीत होने से यथावत् रखा जाता है एंव निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर